

17 मई, 2021

कार्यकारी आदेश 2021-10

कार्यकारी आदेश 2021-10
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 79)

ब्रिज चरण आदेश

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1.35 मिलियन से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 22,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना हमेशा, विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, COVID-19 टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी हैं; तथा,

जहाँ, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”)) ने सम्पूर्ण रूप से वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए अपने दिशानिर्देश को हाल ही में अपडेट किया,¹ जिसमें इस बात का संकेत दिया गया कि वे मास्क पहने बिना या 6 फीट की दूरी बनाए बिना अनगिनत गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, अगर संघीय, राजकीय, स्थानीय, जनजातीय, या प्रादेशिक कानूनों, नियमों, और विनियमों द्वारा इस पर अंकुश न लगाया जाए, जिसमें स्थानीय व्यावसायिक और कार्यस्थल सम्बन्धी दिशानिर्देश भी शामिल हैं; और,

जबकि, CDC यह सलाह देना जारी रखे हुए है कि कपड़े के फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबकि, CDC की सलाह है कि स्कूलों को कम से कम 2020-2021 शैक्षिक स्कूल वर्ष की शेष अवधि तक K-12 स्कूलों के लिए CDC की परिचालन रणनीति में उल्लिखित COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखें; और,

¹ लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला जैसे फ़ाइज़र या मॉडर्ना वैक्सीन्स के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसेन वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं माना जाता है जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।

जबकि, सीडीसी ने यह सलाह देना जारी रखा है कि डे केयर प्रदाताओं को डे केयर प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, कोविड-19 रोकथाम रणनीतियों का उपयोग जारी रखना चाहिए; और

जबकि, COVID-19 के निरंतर प्रसार और आबादी का महत्वपूर्ण प्रतिशत जो बिना टीकाकरण के रहता है, के आलोक में, मैंने 30 अप्रैल, 2021 को घोषित किया कि इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियां इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट की धारा 4 (Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act) के तहत एक महामारी और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करती हैं; और,

जबकि, हाल के सप्ताहों में नए COVID-19 मामलों की संख्या में कमी आई है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य मेट्रिक्स अब राज्य को कुछ शमन उपायों में ढील देने की अनुमति देते हैं क्योंकि अधिक निवासियों को टीका लगाया गया है; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

ब्रिज चरण आदेश

1. **इस कार्यकारी आदेश का आशय।** इस कार्यकारी आदेश का उद्देश्य सुरक्षित और ईमानदारी से, और सीडीसी मार्गदर्शन के अनुरूप, उन गतिविधियों का विस्तार करना है जो COVID-19 महामारी के लिए राज्य की प्रतिक्रिया के पूर्व शमन चरणों के दौरान सीमित थीं। कार्यकारी आदेश 2020-55, 2020-59, और 2021-09 द्वारा यथा संशोधित यह कार्यकारी आदेश, कार्यकारी आदेश 2020-43 का स्थान लेता है।
2. **व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।** व्यक्तियों को अपने एवं अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:
 - a. **सामाजिक दूरी।** उस सीमा तक वे लोग जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, वे अपने निवास के बाहर साझा स्थान का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बाहर भी शामिल है, उन्हें हर समय और यथासंभव उचित रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति से कम से कम छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए जो साथ नहीं रहता है।
 - b. **फ़ेस कवरिंग।**² कोई भी व्यक्ति जिसे पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है और जो दो साल से अधिक उम्र का है और चिकित्सकीय रूप से चेहरे को ढंकने में सक्षम है (मास्क या कपड़े का फ़ेस कवर) सार्वजनिक स्थान पर होने पर अपनी नाक और मुंह को फ़ेस कवर से ढंकने की आवश्यकता होगी और वे छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखें। यह आवश्यकता लागू रहेगी, भले ही व्यक्ति किसी भवन के अंदर के स्थान में हो, जैसे किसी स्टोर में, या किसी सार्वजनिक बाहरी खुले स्थान पर, जहां छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है।

पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोगों सहित, सभी लोगों को CDC के दिशानिर्देश के अनुसार एक फ़ेस कवरिंग पहनना पड़ेगी, जिसमें शामिल है (1) विमानों, बसों, ट्रेनों और किसी अन्य प्रकार की सरकारी गाड़ियों में और परिवहन केन्द्रों में जैसे हवाई अड्डों और ट्रेन और बस स्टेशनों पर; (2) सामूहिक सुविधा केन्द्रों जैसे सुधार केन्द्रों और बेघर आश्रयों में; और (3)

² इस संपूर्ण कार्यकारी आदेश में, फ़ेस कवर पहनने की आवश्यकता के सभी संदर्भों में दो वर्ष एवं इससे छोटे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए फ़ेस कवर पहनना चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) की ओर से फ़ेस कवर के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf

स्वास्थ्य देखभाल ठिकानों में। स्कूलों, डे केयर परिवेश, और शिक्षा संस्थानों में लोगों को इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन, इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड फैमिली सर्विसेज, और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ द्वारा जारी किए गए अलग दिशानिर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।

- c. **वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमजोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।** जिन लोगों को पूरी तरह से टीका नहीं लगा है और जो COVID-19 से गंभीर रुग्णता के उच्च जोखिम में हैं, जिनमें वृद्ध लोग एवं ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से ग्रस्त लोग शामिल हैं जो उन्हें अरक्षित बना सकती है, उनसे आग्रह है कि वे अपने निवास स्थान में ही रहें और दूसरों से व्यक्तिगत संपर्क को अधिकतम संभव सीमा तक घटा दें।
 - d. **लोगों का इकट्ठा होना।** चूंकि व्यक्तिगत संपर्क ही COVID-19 के संचार का सबसे बड़ा जोखिम उत्पन्न करता है, अतः इलिनॉय के वे निवासी जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दूसरों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को सीमित करना जारी रखें और अपने सामाजिक संपर्क को बेहद सावधानी के साथ विस्तार दें। उन निवासियों का जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, दूर रहते हुए एकत्र होना गृहस्थी या निवास स्थान से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बना हुआ है।
 - e. **बाहर खुले में जाएं।** सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन यह सुझाव देता है कि भवन में अंदर रहने के विपरीत, बाहर खुले में होने पर COVID-19 के संचार का जोखिम काफी घट जाता है। इलिनॉय के उन वासियों को जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, प्रोत्साहित किया जाता है कि जहां संभव हो वहां वे अपनी गतिविधियां बाहर खुले में संचालित करें।
3. **व्यवसायों, अलाभ संगठनों, एवं अन्य संगठनों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, कवर किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, किये जाने वाले कार्य, या कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना सभी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक संस्था शामिल हैं। इन इकाइयों/संस्थाओं/कंपनियों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और उनके प्रचालनों के भौतिक संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित उपाय करने होंगे। इस कार्यकारी आदेश में उल्लिखित कोई भी बात, इन संस्थाओं को कड़े या अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने से नहीं रोकते हैं; इसके विपरीत, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और वे पूरी तरह से टीकाकरण पाए हुए लोगों के लिए भी, फेस कवरींग पहनना और सामाजिक दूरी रखने के लिए कहना जारी रख सकते हैं।
 - a. **सभी व्यवसायों की जरूरतें।** सभी व्यवसायों को:
 - यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारी जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं और जब सामाजिक दूरी हमेशा संभव न हो तब वे फ़ेस कवर पहनें;
 - यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
 - यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी आगंतुक (ग्राहक, वेंडर, इत्यादि) जिनकी पूरी तरह से टीकाकारी नहीं हुई है, सामाजिक दूरी व्यवहार में ला सकते हों; पर यदि छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना सारे समय संभव नहीं हो, तो उन आगंतुकों को फ़ेस कवर पहनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा; और
 - यह सुनिश्चित करके कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखें कि कार्य योजनाओं पर कोई भी वापसी सभी लागू सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन का पालन करती है।

वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी, DCEO) ने, IDPH की भागीदारी के साथ, व्यवसायों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी ढंग से प्रचालन करने में सहायता देने के लिए उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन एवं टूलकिट विकसित किए हैं। ये दस्तावेज़ यहां उपलब्ध हैं: <https://dceocovid19resources.com/restore-illinois-phase-4/>. यह उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन यहां उपलब्ध "ब्रिज चरण" मार्गदर्शन द्वारा पूरक और अद्यतन किया गया है: <https://dceoresources-ss-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Restore-Illinois/A-Bridge-to-Phase-5.pdf>.

- b. **फुटकर दुकानों (रिटेल स्टोर) के लिए आवश्यकताएँ।** फुटकर दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी जिन का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें शामिल हैं:
- उन सभी कर्मचारियों को चेहरे को ढकने वाली चीज़ें प्रदान करें जिन का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है और जो हर ग्राहकों और अन्य कर्मचारियों से समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
 - दुकान में जितने लोगो की क्षमता हो उसके 60 प्रतिशत तक ही लोगो को आने दें, या, वैकल्पिक रूप से, डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक अपॉर्चुनिटी (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा आपकी दुकान के वर्ग फुट के आधार पर निर्धारित की गई सीमा तक; और
 - सामाजिक दूरी और चेहरा ढकने की आवश्यकताओं के बारे में दुकान के भीतर संकेतकों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें जैसा कि इस आदेश में निर्धारित किया गया है।
- c. **निर्माताओं के लिए जरूरतें।** निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं जिन का पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिस में शामिल हैं:
- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है और जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
 - यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
 - COVID-19 आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में सामाजिक दूरी संभव बनाने और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो उस सीमा तक प्रचालनों में संशोधन करें एवं उनका आकार घटाएं (शिफ्ट बांटना, लाइन गति घटाना, केवल आवश्यक लाइनें संचालित करना, और अनावश्यक लाइनें बंद कर देना)।
- d. **कार्यालय भवनों के लिए आवश्यकताएं।** नियोक्ताओं को कार्यालय भवनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी कर्मचारी जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें ये शामिल हो सकती हैं:
- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है और जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
 - जहां भौतिक स्थान ऐसा हो जिसमें सामाजिक दूरी संभव न हो, तो वहां क्षमता सीमाएं लागू करने पर विचार करें;
 - जहां संभव हो वहां दूर-से-कार्य (टेलीवर्क) की अनुमति दें; और

- प्रतीक्षा कमरों, सेवा काउंटरों, और कैफ़ेटेरिया आदि साझा स्थानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एवं संकेत व संदेश तैयार करें और प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
- e. **बैठकें, सभाएं, एवं सम्मेलन के लिए आवश्यकताएं।** भवन के अंदर वाले स्थान और बैठकों के स्थान DCEO के मार्गदर्शन के अनुसार प्रचालन कर सकते हैं।
 - f. **रेस्त्राओं और बार के लिए आवश्यकताएं।** सभी व्यवसाय जो ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए भोजन या पेय प्रदान करते हैं—जिनमें रेस्त्रां, बार, किराने की दुकान, और फूड हॉल के लिए—सेवा ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए जारी रह सकती है, जैसे DCEO मार्गदर्शन द्वारा अनुमति है। ऐसे व्यवसायों को भोजन और पेय पदार्थों को परोसने के लिए अनुमति जारी रहेगी ताकि वे ऑफ-प्रिमाइसेस का सेवन कर सकें, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति है, जैसे कि इन-हाउस डेलिवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू और कर्बसाइड पिक-अप। ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग या कैरी-आउट के लिए भोजन या पेय पदार्थों की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा वातावरण हो जहां संरक्षक जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस अनुभाग में कवर किए गए सभी व्यवसाय DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में और जब स्थानीय अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा अनुमति हो तब, परिसर के अंदर, भवन से बाहर खुले में खाद्य एवं पेय पदार्थों के उपभोग की अनुमति दे सकते हैं।
 - g. **फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम के लिए आवश्यकताएं।** फ़िटनेस और व्यायाम जिम DCEO मार्गदर्शन की संगति में खोले जा सकते हैं, जिसमें सदस्यों के व्यायाम के लिए क्षमता के अधिकतम 60 प्रतिशत पर और सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधानियों के साथ प्रचालन करना शामिल है।
 - h. **व्यक्तिगत सेवा इकाइयों के लिए आवश्यकताएं।** व्यक्तिगत सेवाओं वाली इकाइयां, जैसे स्पा, हेयर सैलॉन, नाई की दुकानें, नेल सैलॉन, वैक्सिंग केंद्र, टैटू पार्लर, एवं ऐसी ही अन्य इकाइयां खोली जा सकती हैं पर उन्हें DCEO के मार्गदर्शन का अनुसरण और फ़ेस कवर का उपयोग, सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन उन लोगों के लिए सुनिश्चित करना होगा क्षमता जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है।
 - i. **बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों के लिए आवश्यकताएं।** बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों की सेवाएं देने वाले व्यवसाय खोले जा सकते हैं पर उन्हें उन लोगों के लिए जिनका पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, फ़ेस कवर के उपयोग एवं सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना होगा और DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कदमों का पालन करना होगा।
 - j. **जन कौतुक (एम्पूज़मेंट) के स्थान के लिए आवश्यकताएं।** जन कौतुक (एम्पूज़मेंट) के स्थान भवन के अंदर और बाहर खुले में मन-बहलाव (जिसमें आरकेड, और ड्राइविंग रेंज शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं), संग्रहालयों और जलजीवशालाओं, चिड़ियाघरों और वनस्पति उद्यानों, थिएटर एवं प्रदर्शन कलाओं, और बाहर खुले में सीटों वाले दर्शक कार्यक्रमों के लिए DCEO के मार्गदर्शन की संगति में सेवाएं जारी रखे जा सकते हैं।
 - k. **फ़िल्म निर्माण के लिए आवश्यकताएं।** फ़िल्म निर्माण, DCEO मार्गदर्शन में वर्णित प्रतिबंधों के साथ प्रचालन कर सकता है।
 - l. **न्यूनतम बुनियादी और आधारभूत क्रियाएँ।** सभी व्यवसाय निम्नलिखित को जारी रख सकते हैं:

- i. व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रक्रिया पेरोल और कर्मचारी लाभ, या संबंधित कार्यों के लिए व्यवसाय की सूची के मूल्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें।
 - ii. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें जो दूर से काम करना जारी रखने में सक्षम हैं।
 - iii. पिक-अप या डिलीवरी के माध्यम से ऑनलाइन एवं टेलीफोनिक फुटकर ऑर्डर पूरे करना।
4. **अपवाद।** ब्रिज चरण शमन उपायों के साथ ही पिछले चरणों और स्तरों पर निम्नलिखित अपवाद लागू होते हैं। मेरा इरादा, COVID-19 के कारण जारी किए गए आपदा घोषणाओं के दौरान इन अपवादों को रद्द करने का नहीं है।
- a. **मुक्त धर्मपालन।** यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित परिपाटियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।³ धार्मिक संगठनों को अपने मंडलियों और आगंतुकों के लिए सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकने और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से टीकाकरण नहीं करते हैं।
 - b. **आपातकालीन कार्य।** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
 - c. **सरकारी कार्य।** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।
5. **सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरींग, और PPE आवश्यकताएँ।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, समाजी दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो, हाथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), नियमित रूप से उच्च स्पर्श सतहों की सफाई, और हाथ नहीं मिलाना है।
- a. **आवश्यक उपाय।** व्यवसायों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें, जहां संभव हो वहां, निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i. **छह फुट की दूरी नामोद्दिष्ट करें** उचित दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी;

³ उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: <https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance>

- ii. **हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद।** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद
 - iii. **अतिसंवेदनशील आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे** बुजुर्गों और अतिसंवेदनशील ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना;
 - iv. **ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस।** ऑनलाइन पोस्ट करना कि क्या एक सुविधा सार्वजनिक खुली है और सुविधा तक पहुंचने के लिए और फोन या रिमोट द्वारा सेवाएं जारी रखना कितना सर्वश्रेष्ठ है; और
 - v. **फेस कवरींग और PPE.** कर्मचारियों को उचित फेस कवरींग प्रदान करना और यह अपेक्षा करना कि जिन कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, वे ऐसे फेस कवरींग पहनें जहाँ हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है। काम की परिस्थितियों के अनुसार फेस कवरींग के अलावा अन्य PPE कर्मचारियों को प्रदान करना।
6. **लागू करना।** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, अन्य बातों के साथ, यह कार्यकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जा सकता है।

व्यवसायों को चरण IV के दौरान (ब्रिज चरण मार्गदर्शन द्वारा संशोधित के रूप में) सुरक्षा उपायों के बारे में इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्ट्युनिटी, और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में इलिनॉय अटॉर्नी जनरल के कार्यालय द्वारा दिए गए या प्रकाशित किए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एक्ट की धारा 25 (बी), 740 ILCS 174 के अनुसार, व्यवसायों को जानकारी का खुलासा करने के लिए कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जहां कर्मचारी के पास यह मानने का उचित कारण है कि उक्त जानकारी इस आदेश का उल्लंघन है।

7. **अधिकार पर कोई सीमा नहीं।** इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में निहित किसी भी बात का अर्थ किसी संगरोध (कॉरन्टीन), पृथक्वास (आइसोलेशन), या बंदी का आदेश देने के किसी भी प्राधिकार के उपयोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।

8. **बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)।** यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश के संबंध में यह कार्यकारी आदेश का आशय किसी भी न्यायालय के आदेश के साथ पढ़ा जाना है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 17 मई, 2021 को जारी किया गया
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 17 मई, 2021 को दायर